□□□□□□□□□

जनसत्ता 28 अप्रैल, 2014 : पिछले कुछ वर्षों से हमारे समाज में रूढ़ियों को तोड़ने और कुछ क्रांतिकारी करने की अविचित्र-सी बेचैनी दिखाई देने लगी है,

जिसमें प्रगतिशीलता कम और प्रयोगधर्मिता के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं। यह प्रयोगधर्मिता कई नए प्रश्न खड़े कर देती है, जिनके समाधान हमारे पास नहीं होते। लेकिन उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वे हमारे सामाजिक निर्वाह से जुड़े होते हैं।

इस प्रयोगधर्मिता से हमारे भावनात्मक संबंध सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, चाहे वह लिव-इन रिलेशनशिप यानी सहजीवन की स्वीकृति हो या इंटरनेट पर शादी करने आदि की। हम नई स्थिति के प्रति आकर्षित होकर उसे लपक तो लेते हैं, पर जब उस बदली स्थिति के परिणाम सामने आने लगते हैं तो दर्द से चिल्लाने लगते हैं।

भावनात्मक संबंधों की जब कानूनी व्याख्या की जाने लगती है तो यही समझ में आता है कि विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के इस युग में संबंधों के महीन रेशे अब टाइप होकर मेमोरी में स्टोर होने लगेंगे और जब हम चाहेंगे, उन्हें मेमोरी से बाहर निकाल कर अपने सामने रखेंगे, प्रेमालाप करने लगेंगे और जब वक्त अपना स्विच बंद कर देगा तो अलादीन के दूत की तरह उसे लौट जाने को कह देंगे और खुद संवेदन शून्य होकर अपने काम में मशगूल हो जाएंगे। संबंधों को जीना समय सापेक्ष हो ही गया है। अब यह तय करना पड़ता है कब प्रेम करें, कब विवाह करें और कब संतानोत्पत्ति की सोचें। समय न हो तो कोख भी किराए पर खरीद लें, क्योंकि सब बिकता है।

जीवन एक वफादार रोबोट की तरह चलने लगा है। बच्चे आवश्यकता के लिए नहीं, अभ्यासवश दूध पी लेते हैं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं कि भूख का इंतजार करे। अधिकार भावना स्नेह और सौहार्द से उत्पन्न न होकर कानूनी व्याख्या के नतीजे के तौर पर सामने आए तो अब आश्चर्य क्यों।

इसमें कोई संदेह नहीं कि ढेर सारी सुख-सुविधाओं के साथ पा लेने की हवस में पूरा समाज गोते खाने लगा है, पर हम कहां जा रहे हैं, यह तो हमें ही सोचना है। कोई हमें रोकेगा नहीं, पूछेगा नहीं, हमने ऐसा वातावरण तो बना ही दिया है, पर जब परिणाम भूत की तरह आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो उसे झेलना आपको ही है। स्वच्छंदता सभी को अच्छी लगती है, उन्मुक्तता की पैरवी करते-करते हमारे ही बच्चे अब विवाह करने को मना करने लगे हैं। आज के माता-पिता का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी प्रवंचना है कि वे अपने बच्चों पर नियंत्रण खो बैठे हैं। माता-पिता की अपने बच्चों को लेकर असहायता और कातरता सबसे बड़ी विडंबना है।

आइ□ देखें कानून क्या कहता है, जब आप ऐसी परस्थितिि में फंस जाते हैं□ □क बहुत ब□ा फैसला कयिा सर्वोच्च न्यायालय ने- सबको चौंका दयिा, हलि ग□ सब□ ब□ा आक्रोश व्यक्त हुआ मीडयिा के माध्यम से□ यह क्या कर दयिा सबसे ब□ी अदालत ने! नरि्णय यह था कि सहजीवन में कटुता आने पर □क साथी और बच्चों को भरण-पोषण पाने का अधकिार दे दयिा□ महलिा□ं दुखी हो गर्इं कि ऐसी स्त्री को पत्नी जैसा अधकिार क्यों□ पुरुष परेशान हो ग□ कि जब शादी ही नहीं की और उसे पत्नी का अधकिार ही नहीं दयिा, तो खर्चा क्यों दयिा जा□!

इस मामले में तथ्य यह था कि पहली पत्नी से तलाक के कई साल बाद दूसरी स्त्री के साथ इक्कीस वर्षों तक सहजीवन में रहने के बाद □क व्यक्ति का उससे मनमुटाव हो गया और परणिाम स्वरूप दोनों अलग हो ग□□ इस संबंध से दो बच्चे भी पैदा हु□□ परत्यिक्ता महलिा ने घरेलू हसिा वरिोधी कानून के तहत भरण-पोषण मांगा□

मद्रास उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय से इस रशि्ते की व्याख्या करने की मांग की□ सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हसिा वरिोधी कानून की उस धारा की व्याख्या की, जसिमें 'समाज में पति-पत्नी की तरह रह रहे दंपति के अधकिार' की चर्चा थी□ इस प्रकार के संबंध के लि□ इस कानून में भरण-पोषण का प्रावधान है- ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने माना और मद्रास उच्च न्यायालय को इसी के अनुरूप फैसला करने का नरि्देश दयिा□

अदालतें कानून नहीं बनातीं, केवल उनकी व्याख्या करती हैं□ महलिाओं के प्रगतशिील सोच के अनुरूप ही घरेलू हसिा वरिोधी कानून बना□ महलिाओं ने ही ववािह न करके सहजीवन में रहना स्वीकार कयिा□ पुरुष स्वयंभू होने की गलतफहमी पालता रहा□ पर कभी तो इसे स्वीकृति मलिनी ही थी□ कभी तो चर्चा होनी थी कि स्त्री-पुरुष का यह रशि्ता है क्या□ ऐसे रशि्ते में पत्नी का दर्जा अदालत ने नहीं दयिा, इसे पति-पत्नी की तरह का रशि्ता माना□

जो हकीकत है, उसे स्वीकार करने से गुरेज क्यों होना चाह□□ संबंधों में यह स्थिति आप ही की बनाई हुई है□ न तो अदालत ने बनाई है, न उसे वास्तवकि स्थिति से ज्यादा दर्जा दयिा है□ फरि आक्रोश कैसा! पुरुष अपने जीवन को अपनी तरह जीना भी चाहते हैं और कोई कष्ट भी नहीं उठाना चाहते, ऐसा क्यों□ समाज को आप जैसा बना□ंगे वैसा ही बनेगा□

प्रगतशिीलता के नाम पर सारी सीमा□ं तो□ कर बाहर नकिल आर्इं महलिा□ं अपने संबंधों को लेकर कतिनी कमजोर हैं, यह □क नजर अपने कानूनों पर डालने से ही पता चल जा□गा□ ववािह की शर्तों को अस्वीकार करके जब स्वच्छदंता की पैरवी शुरू हुई तो कुछ बुरा नहीं लगा, पर जब-जब दलि पर चोट लगी, अदालत-कचहरी का दरवाजा खटखटाया जाने लगा, टटोला जाने लगा कि इस मामले में हमारे अधकिार क्या हैं□ पर यहां हाथ कुछ नहीं लगता□ दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षति होकर जब कोई पति अपनी पत्नी का परत्याग कर देता है, तो पत्नी उस दूसरी स्त्री के खलिाफ कोई शकिायत नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे कानून के अनुसार इस मामले में स्त्री पी□ति मानी जाती है, दोषी नहीं□

पत्नी की बेवफाई की शकिायत भी पति नहीं कर सकता, क्योंकि यहां भी स्त्री पी□ति मानी जाती है, वह परपुरुषगामनिी होती है, पर शोषति भी वही मानी जाती है, वही पुरुष के वरिुद्ध शकिायत कर सकती है□ पर जो संबंध उसने अपनी खुशी से बनाया है, उसकी शकिायत क्यों करेगी! प्रकारांतर से स्थिति यह हुई कि संबंधों से जु□ वफाई या बेवफाई जैसे मामलों में कानून आपकी कोई मदद नहीं करता□ इस पर भी यहां यह बात ध्यान देने की है कि हम खुद अपने संबंधों के प्रति संवेदनशून्य हो रहे हैं, तो फरि प्यार न करने की सजा कसि देना चाहते हैं! और अगर जसि प्यार करते हैं उसे सजा देने की बात मन में आ जा□ तो प्यार कसि बात का, वह तो रहा ही नहीं□ वह तो केवल बदले की भावना हो सकती है, जो प्यार में होती नहीं है□ प्यार के साथ त्याग तो हो सकता है, बदले की भावना नहीं□

पर आज तो हम आ□ दनि सुनते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार न करने पर ल□ की के ऊपर तेजाब फेंका गया□ क्या हमने प्रेम का स्वरूप बदल नहीं दिया! आप सहजीवन को स्वीकार करते हैं, तो पति की बेवफाई के ल□ भी तैयार रहें□ आप बिना विवाह के साथ रह सकते हैं, तो यह भी मान कर चलें कि विवाह से इनकार किया जा सकता है□

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दो ब□ पुराने निर्णयों के उदाहरण देना आवश्यक होगा, जिन्हें आज भी अदालतें नजीर मान कर चलती हैं□ वी. रेवती के मामले में 25 फरवरी, 1988 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत हुआ कि क्या पत्नी की गुहार पर न्यायालय पति को उसकी बेवफाई की सजा दे सकता है□ 1985 में सौमित्री विष्णु ने अपनी स्वेच्छाचारिणी पत्नी को सजा दिलाने के ल□ अदालत का दरवाजा खटखटाया□

दोनों ही मामलों में अदालत ने कानूनी व्याख्या की कि 'कोई भी पत्नी अपने पति के विवाहेतर संबंधों के ल□ दंड नहीं दिला सकती, क्योंकि इस अपराध के होने से दूसरी स्त्री प्रभावित होती है, जिसके सहयोग से वह अपराध करता है और वही शोषिता मानी जाती है□'

चूंकि शिकायत प्रभावित व्यक्ति ही कर सकता है, इसल□ अपनी स्वेच्छाचारिणी पत्नी की शिकायत पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि यहां भी स्त्री ही प्रभावित होती है, उस कृत्य से वही शोषित मानी जाती है, वंचित पुरुष नहीं□ हालांकि कानून ने अपने तरीके से व्याख्या कर दी, पर सच तो यह है कि जहां संबंध कुछ रह ही न गया हो, वहां किसी को किस बात की सजा दी जा□□

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति चंद्रचू□ के दोनों फैसलों का आधार मनोविज्ञान था□ दांपत्य संबंध कोई रासायनिक प्रयोगशाला नहीं है, जिसके□क मिश्रण को दूसरे के साथ मिलाया जा□ तो कोई भिन्न प्रतिक्रिया होगी□ यहां प्रश्न यह नहीं कि हम कौन-सा युद्ध जीतना चाहते हैं□ प्रश्न यह है कि दूसरे को कैसे हराया जा□□ जब हार-जीत के परिणामों वाला यह युद्ध ल□ा जाता है, तो संबंध युद्ध का अखा□ा हो जाता है□ अदालतों ने किसी भी निर्णय में इस युद्ध के ल□ तलवारें नहीं सौंपीं□

हम जो संसार अपने ल□ रचते हैं उसे सजाने, संभालने और कभी-कभी झेलने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है□ जब हम कोई सीमा लांघते हैं तो अपनी सीमा के भीतर रहने की सुरक्षा उसी समय खो देते हैं□ अब नई स्थिति में अपने ल□ पुराने हथियार साथ नहीं ला सकते□ यही हाल अब सहजीवन के साथ हो रहा है□ आप केवल भरण-पोषण या भत्ते मांग सकते हैं संबंध नहीं, विवाह करने के निर्देश नहीं□

अस्सी के दशक में हुआ फैसला आज भी सच है, बरकरार है, क्योंकि संबंध खरीदे नहीं जा सकते, जबरदस्ती बना□ नहीं जा सकते, कानून से मनवा□ भी नहीं जा सकते□ वे तो केवल जी□ जाते हैं, निभा□ जाते हैं□ सहेजे जाते हैं या उनकी कद्र की जाती है□ जब भी हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास कुछ नहीं बचता□ संबंधों के सहारे जीने वाला हमारा समाज विपन्न हो रहा है□

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- https://www.facebook.com/Jansatta

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- https://twitter.com/Jansatta